सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

अपनी ग्राहक नीति जानें

| संस्करण सं | 1.0 |
|-------------------------------------|---------------|
| आवेदन की मूल रूप से स्वीकृत तिथि | 15 मई 2024 |
| नीति की प्रकाशन तिथि | ना |
| स्वामी | निर्देशक मंडल |
| के द्वारा | निर्देशक मंडल |

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

1. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक (" आरबीआई ") ने मास्टर निर्देश - अपने ग्राहकों को जानने (कीवैसी) निर्देश, 2016 जारी किया है। 16 फरवरी, 2016 को समय-समय पर अपडेट किए गए (" केवाईसी मास्टर निर्देश") जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ("एनबीएफसी") जैसे मानकों को अपने ग्राहक (" केवाईसी") के लिए पालन करने के लिए निर्धारित किया गया है, साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ("ए फॉलो ") और आतंकवाद के मुद्दों का मुकाबला करने (" सीएफटी ") से संबंधित उपाय भी शामिल हैं। एस्पायर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (" एस्पायर फाइनेंस " या " कंपनी ") आरबीआई के साथ पंजीकृत एक बेस लेवल-नॉन-डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी होने के रिश्तेदार केवाईसी मास्टर प्लस के अनुरूप इस केवाईसी नीति (" केवाईसी नीति ") को अपनाता है।

2. नीति का उद्देश्य, मुकदमा और कार्रवाई

इसका मुख्य उद्देश्य एस्पायर फाइनेंस को आसानी से या आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल करके अपराधियों को या तो शोषण से बचाना है। इसमें ग्राहक अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक पहचान के लिए स्पष्ट प्रमाणीकरण स्थापित करना, खाता खोलने के दौरान व्यक्तियों और इसलिए दोनों की वास्तविक पहचान को प्रमाणित करने के लिए प्रोटोकॉल लागू करना, उच्च-मूल्य वाले लेन-देन और निगरानी में संदिग्ध परिणाम देखना शामिल है। जिन लोगों को भी लेन-देन की निगरानी के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करनी होती हैं, ग्राहकों पर पूरी तरह से उचित परिश्रम करने के तरीके तैयार करना और ऐसी लेन-देन की रिपोर्ट शामिल करना शामिल होता है। यदि ऐसा कोई परिदृश्य उत्पन्न होता है जिसका इस केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो केवाईसी मास्टर निम्नलिखित में निर्धारित दिशा-निर्देशों या आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

3. ग्राहक या कानूनी इकाई (LE) की परिभाषा

के उद्देश्य के लिए , 'पर्ची' का आधार ऐसे व्यक्ति से है जो एस्पायर फाइनेंस के साथ वित्तीय आधार या गतिविधि में संलग्न होता है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होता है, जो आधार या गतिविधि में संलग्न व्यक्ति कार्य कर रहा होता है और इसमें शामिल होते हैं:

- ऐसे व्यक्ति या संस्था में पूर्णकालिक एस्सार फाइनेंस के साथ खाता है और/या व्यावसायिक संबंध है।
- प्राकृतिक प्रसाद स्वामी को मात्र से खाता बनाए रखा जाता है।
- वित्तीय आधार से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति या संस्थाएं जो एस्सार फाइनेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा या अन्य जोखिम पैदा कर सकती हैं।

एक ओर यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ग्राहक एक कंपनी है, वहां 'लाभार्थी स्वामी' वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करते

पताः पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064 (कर्नाटक); **ईमेल आईडी**: manoj@aspirefinance.in; **मोबाइल नंबर:** 6362 098 268

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

हुए, नियंत्रित स्वामित्व वाली हितधारक या जो अन्य तरीके हैं। से नियंत्रण रखता है। जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, वहां लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से भागीदारी की पेशकश या मुनाफे का 10 (दस) प्रतिशत से अधिक स्वामित्व/हकदारी रखती है या अन्य तरीके हैं। से नियंत्रण रखता है। जहां ग्राहक एक गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, वहां प्रीमियम स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करते हुए, गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या मुनाफे का 15 (पंद्रह) प्रतिशत से अधिक स्वामित्व/हकदारी है। जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, वहां परमहंस स्वामी की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10 (दस) प्रतिशत या उससे अधिक स्वीकार्य हितों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

4. :...

कंपनी अपने ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण चैनलों आदि के लिए धन शोधन और आतंकवादी संभावित जोखिम को कम करने के लिए पहचान, आकलन और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'धन शोधन' करती है। रैम) और उग्र शक्ति (टी.एस.) जोखिम आकलन' अभ्यास। इस तरह के संकेतों का आकलन करने में, कंपनी समग्र जोखिम के स्तर और लागू होने वाले संकेतों के उचित स्तर और प्रकार का आकलन करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम संकेतों पर विचार करेगी।

आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों का परिदृश्य तैयार करेगी, यदि कोई हो, जिसे नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर उसके साथ साझा कर सकते हैं।

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका जोखिम मूल्यांकन उचित रूप से पूर्व नियोजित हो और कंपनी की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, मनोरंजन/संरचना की मिश्चित आदि के अनुपात में हो। जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की अधिकतमता कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड की ऐसी अन्य समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसमें यह शक्ति निहित हो। किसी भी मामले में, जोखिम मूल्यांकन कम से कम किया जाना चाहिए। कंपनी ऐसे अभ्यास के परिणाम को सक्षम अधिकारी और स्व-नियामक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराएगी।

5. ग्राहक नीति

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके ग्राहक द्वारा गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से कोई खाता न खोला जाए या ऐसे खाते को ग्राहक के असहयोग या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों/सूचना की

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

अविश्वसनीयता के कारण इस निश्चित नीति में ग्राहक के लिए उचित परिश्रम (" **सीडीडी** ") उपायों के तहत सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई लेन-देन या खाता-आधारित संबंध नहीं रखेगी, जो इस कीवैसी नीति में सी.डी.डी. निर्धारित करेगी। उपायों को नहीं अपनाना है। ग्राहक को बताए गए अनिवार्य दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए जो कंपनी के साथ खाता-आधारित संबंध रखना चाहता है। जहां कंपनी का आधार है कि उसे अपनी सी.डी.डी. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वह ग्राहक की स्पष्ट सहमित से ऐसी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज (इस कीवाई नीति में अनिवार्य नहीं) प्राप्त कर सकती है। यदि कंपनी का कोई मौजूदा ग्राहक अनुपालन करने वाला ग्राहक कंपनी के साथ एक और खाता खोलना चाहता है, तो कंपनी ऐसे ग्राहक पर नई सी.डी.डी. नहीं चला जा सकता है।

जहां ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल खाती है, जिसका नाम आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रतिबंध सूची में दिखाई देता है, कंपनी ऐसे व्यक्तियों/कानूनी आधार पर रिपोर्ट वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (" एफआईयू-मढ़ी ") एफआईयू-मढ़ी को इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमचआरडी) को भी सूचना दी जाएगी, जैसा कि नियमित विनियमन (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 के तहत आवश्यक है। ऐसे उदाहरण में जहां कंपनी का उचित रूप से पालन किया जाता है कि सीडी प्रक्रिया को पुरस्कृत करने से किसी ऐसे ग्राहक के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बारे में उसे संदेह है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग या विश्वसनीयता पर ध्यान दे रहा है, तो वह सीडी को पुरस्कृत करेगी इसके बजाय एफआईयू-मर्डडी के साथ एक संदिग्ध ब्लैक रिपोर्ट दर्ज करेगी।

कंपनी के सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि इस ग्राहक-पहुंच नीति के परिणामस्वरूप आम जनता को बैंकिंग/वित्तीय सुविधा से वंचित न होना पड़े, विशेष रूप से उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हों।

6. ग्राहक पहचान प्रक्रिया

ग्राहक पहचान में विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज़ों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान को विश्वसनीय और विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया शामिल है। एस्पायर फाइनेंस प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी एकत्र करेगा, साथ ही अपने प्रमोटरों और प्रबंधन के बारे में संक्षिप्त विवरण देगा, तािक उनकी नियमित या कभी-कभार गितिविधि हो, और व्यावसाियक संबंध का उद्देश्य हो। जोिखम के किथत स्तर के आधार पर इन आवश्यकताओं की शर्तों को समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, जैसे कि विशेष रूप से सूचीबद्ध कंपनी, सभी फ़ंक्शन की पहचान करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

कंपनी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगी:

(i) के साथ खाता-आधारित संबंध की शुरुआत ;

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

- (ii) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण कार्य करना जो कंपनी का खाताधारक नहीं है ;
- (iii) जब ग्राहक पहचान डेटा प्राप्त किया जाता है तो प्रामाणिकता या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो सकता है ;

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

7. प्राहक के लिए उचित शुल्क

बनाने से पहले, कंपनी केवाईसी मास्टर फेलियर के अनुरूप सीडीडी प्रक्रिया अपनाएगी। सीडीडी करने के लिए, कंपनी किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगी जो किसी कानूनी इकाई से संबंधित लाभकारी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है:

- (i) आधार संख्या जहां ग्राहक स्वेच्छा से इसे प्रस्तुत करता है; या
- (ii) कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (" **ओवीडी** ") या समकक्ष ई-दस्तावेज जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैन आदि; या
- (iii) केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; या
- (iv) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में ऐसे अन्य दस्तावेज, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज।

एक बार जब ऐसी जानकारी/ओवीडी कंपनी को प्रस्तुत कर दी जाती है, तो कंपनी केवाईसी मास्टर फीडबैक के अनुसार उचित तत्परता बरतेगी।

एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलने के लिए, कंपनी व्यक्ति (मालिक) की सीडीडी लेगी। ऐसा करने के लिए, कंपनी ऊपर बताई गई जानकारी/दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ एकत्र करेगी:

- (i) उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ii) दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा प्रमाण पत्र/लाइसेंस जारी किया जाएगा; या
- (iii) बिक्री और आयकर रिटर्न;
- (iv) आईईसी आदि.

कंपनी एक असंबद्ध एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय या एक कानूनी व्यक्ति परामर्श के उद्देश्यों से केवाईसी मास्टर फीडबैक के तहत कुछ लेखों को एकत्रित करेगी।

जहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरण उपलब्ध हैं, वहां जीएसटी नंबर को जारीकर्ता प्राधिकारी की खोज/सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

जहां ग्राहक से पुराने दस्तावेज़ों के अनुरूप समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाता है, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन किया जाएगा।

8. चल रही कारण तत्परता

कंपनी के ग्राहकों के संबंध में निरंतर उचित जांच-पड़ताल की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लेन-देन ग्राहक, ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, धन/संपत्ति के स्रोत के बारे में उनकी जानकारी के अनुरूप हों।

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निगरानी की सीमा ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुरूप होगी और ऐसा जोखिम वर्गीकरण 6 महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा।

9. केवाईसी स्टिकर का नक्शा अपडेट

एस्पायर फाइनेंस ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ग्राहक पहचान डेटा की नियमित समीक्षा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया परिणामों की स्थित और प्रोमोशनों या प्रमुख शेयरों में किसी भी बदलाव पर केंद्रित होगी। कंपनी की किसी भी जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं से डिजिटल चैनलों या ग्राहक इकाई के प्राधिकृत अधिकारी से पत्र के माध्यम से पृष्टि या स्व-घोषणा प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में, कंपनी नोटिस के 30 दिनों के भीतर एक नए मामले को शामिल करने के लिए समान प्रक्रिया शुरू होगी।

केवीसी अपडेट की फिटनेस जोखिम श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगी: कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दस साल में एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दो साल में एक बार। जबिक केवाईसी दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होते हैं, मौजूदा ग्राहक भौतिकता और जोखिम के आधार पर उनके अधीन होंगे।

10. एनहैंस ड्यू डेलीजेंस

कंपनियां उन ग्राहकों के लिए बेहतर उचित परिश्रम (" **ईडीडी** ") करेंगी जो गैर-आमने-सामने के माध्यम से ऑनबोर्ड किए गए हैं। इस खंड के उद्देश्यों के लिए गैर-आमने-सामने के तरीकों में डिजिटल चैनलों जैसे कि सीकेवाईसीआर, डिजिलॉकर, समकक्ष ई-दस्तावेज आदि का उपयोग और गैर-डिजिटल तरीके जैसे कि एनआरआई और पीमो के लिए अनुमत अतिरिक्त आवेदक प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रतियां। प्राप्त करना शामिल है।

जहाँ संभव हो, कंपनी रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक को पहले विकल्प के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (" वी-सीपी ") प्रदान कर सकती है। कंपनी कुछ मास्टर फिक्स्ड वी-सीआईपी के लिए निर्धारित मानकों और मानकों का पालन करेगी और ऐसे वी-सीआईपी को आमने-सामने सीआईपी के बराबर माना जाएगा।

के लिए, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर उपलब्ध न हों। लेन-देन ओटीपी, लेन-देन अपडेट आदि के लिए ऐसे दिशानिर्देशों के साथ लिंक किए गए पोस्ट सीडीडी को शामिल किया

पता: पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064 (कर्नाटक); **ईमेल आईडी:** manoj@aspirefinance.in; **मोबाइल नंबर:** 6362 098 268

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

जाएगा। लेन-देन केवल खाता खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर से ही किया जा सकता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर में अन्य लोगों के अनुरोधों पर चर्चा करने के दौरान कंपनी अतिरिक्त सावधानियां बरतेगी।

इसके अलावा, कंपनी की जानकारी में परिचालन की अनुमित देने से पहले, वर्तमान पीट का प्रमाण प्राप्त करने के माध्यम से सकारात्मक पृष्टि की जाएगी। सकारात्मक पृष्टिकरण पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, वितरण आदि जैसे तरीकों से की जाएगी। जहां ग्राहक का पैन प्राप्त किया जाता है, उसे सभी मामलों में जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा के साथ इसकी सत्यापन करना होगा।

जब तक ग्राहकों को सामना-सामने के माध्यम से जोड़ा नहीं जाता है, उन्हें उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और जब तक ग्राहक की पहचान सामना-सामने या वी-सीपी के माध्यम से विश्वसनीय नहीं हो जाती, तब तक उनकी निगरानी बढ़ा दी जाएगी।

11. रैकेट की निगरानी और रिपोर्टिंग

एस्पायर फाइनेंस प्रत्येक खाते के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर निगरानी रखेगा। कंपनी नियमित रूप से अलग होने वाले माउस की पहचान करने के लिए ग्राहकों की विशिष्ट और उचित गतिविधि को देखने का प्रयास करेगी। जटिल, असामान्य रूप से बड़े पैमाने पर और किसी भी असामान्य गति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्यों की कमी हो। ग्राहक की पृष्ठभूमि, मूल देश, फंड स्रोत, निधि के प्रकार और अन्य जोखिम तत्व जैसे कारक निगरानी की सीमा निर्धारित की जाएगी। उच्च जोखिम स्तर वाले सर्वेक्षण की गहन निगरानी की जाएगी। कंपनी समय-समय पर ग्राहकों और उपभोक्ताओं के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करेगी, जिसमें कम से कम हर बारह महीने में एक बार सावधानियों के उपायों की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

कंपनी के नए खाता खोलने के अनुप्रयोगों को विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निगरानी सूचियों के साथ मान्य करने के विकल्प का पता लगाया जाएगा, जिसमें आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूचियाँ भी शामिल हैं। उचित परिश्रम के बाद, संदिग्ध समझे जाने वाले किसी भी वॉक की सूचना वित्तीय खुिफया इकाई-भारत (एफआईयू-स्तरडी) के निदेशक द्वारा प्रधान अधिकारी को तुरंत दी जाएगी।

व्यापक निगरानी, सभी मॉनिटर की रिपोर्टिंग और केवाईसी अनुपालन के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी का बोर्ड किसी भी निदेशक, अधिकृत प्रबंध निदेशक या अन्य विधिवत अधिकृत अधिकारी को केवाईसी/ए अनुपालन/सीएफटी के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

कंपनी ने 'माइकल' की निगरानी और रिपोर्टिंग में 'केवीसी मास्टर' की निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया है।

12. केवाईसी/ए अपडेट/सीएफटी के लिए प्रमुख अधिकारी

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

कंपनी में एक प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार होगा और सीधे संबंधित निदेशक/एमडी या कंपनी के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा। उनकी भूमिका और कर्तव्य में समय-समय पर जारी किए गए केवाईसी/ए अनुपालन/सीएफटी पर विनियामक क्षतिपूर्ति और धन शोधन क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2002 के तहत मृत्यु के साथ-साथ धन शोधन क्षतिपूर्ति नियम, 2005 और उसके बाद के किसी भी संशोधन के साथ समग्र क्षतिपूर्ति की देखरेख और निश्चित करना शामिल होगा।

ग्राहकों से अपेक्षित जानकारी RBI या FIU-IND द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार एकत्रित की जाएगी, भले ही वह कंपनी प्राथमिक संस्था हो या अन्य सह-वित्तपोषण संस्थाएं शामिल हों। ग्राहक को समय-समय पर अपने केवाईसी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि इस केवाईसी नीति में जोखिम श्रेणी के आधार पर कहीं न कहीं निर्धारित किया गया है या इकाई के भीतर किसी भी मानक परिवर्तन की स्थिति में, जिसमें कंपनी के साथ किसी पूर्व संबंध न रखने वाले नए प्रमोटरों को शामिल करना है, ऐसे में विज्ञप्ति के 15 दिनों के भीतर।

एकत्रित की गई ग्राहक जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहकों से भुगतान की गई जानकारी जोखिम के लिए प्रासंगिक हो, गैर-दखलंदाजी वाली हो और इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो। एएफपीएल यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी राशि के लिए धन का कोई भी भुगतान, चाहे वह डिमांड ड्राफ्ट, मेल/टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या किसी अन्य तरीके से हो, चेक के माध्यम से किया जाए न कि कैशपेमेंट के माध्यम से।

कंपनी में एक 'नामित निदेशक' भी नियुक्त किया जाएगा, जो प्रधान अधिकारी के साथ मिलकर केवाईसी मास्टर फीस, धन शोधन क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2002 और उसके तहत नियमों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्रधान अधिकारी और मनोनीत निदेशक का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रधान अधिकारी :

नामः तुषार गरीमल्लाह

पद: निर्देशक

पताः पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064

ईमेल <u>आईडी</u>: tushar@aspirefinance.in

मोबाइल नंबर: 9535015003

मनोनीत निदेशक:

नाम : मनोज राठी

पता: पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064 (कर्नाटक); **ईमेल आईडी:** manoj@aspirefinance.in ; **मोबाइल नंबर:** 6362 098 268

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

पद: निर्देशक

पताः पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064

ईमेल आईडी: manoj@aspirefinance.in

मोबाइल नंबर: 6362 098 268

13. पेंशन को बंद करना/वित्तपोषण/व्यावसायिक व्यवस्था की समाप्ति

ऐसे मामलों में जहां कंपनी ग्राहक द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है और/या असाहयोग के कारण उपयुक्त उपायों को लागू करने में असमर्थ है, एएफपीएल ग्राहक को उचित नोटिस देने के बाद प्रासंगिक संबंध समाप्त कर देगा, जिसमें इस निर्णय के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा किया जाएगा। ऐसा एएफपीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या प्रधान अधिकारी के रूप में किया जाएगा।

14. फ़ॉर्म:

एस्पायर फाइनेंस के ग्राहकों को उनके जोखिम के कथित स्तर के आधार पर तीन जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिन्हें ए, बी और सी के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी की किसी भी प्रक्रिया को बिना किसी अपवाद के सभी तरह से लागू किया जाता है, लेकिन उसकी स्थित या कंपनी या प्रमोटर के साथ संबंध कुछ भी होना चाहिए। हालाँकि, इन आवश्यकताओं के आवेदन को कथित जोखिम स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण को निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया जाएगा:

- स्तर ए: उच्च जोखिम

- स्तर बी: मध्यम जोखिम

- स्तर सी: कम जोखिम

- स्तर सी: निम्नलिखित ग्राहकों को स्तर सी जोखिम ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:
 - महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध तथ्यों के साथ संबद्ध।
 - ऐसे वित्तीय सहायता के साथ संबंध जो समतुल्य मानकों को लागू करने वाले अधिकार क्षेत्र या देशों में स्थित हैं, या मुख्यालय हैं। (यदि इस तथ्य पर भरोसा किया जाता है कि एफएटीएफ मुख्यालय या समकक्ष देश में है, तो इसकी सेवाएं और संबंधित देश की शाखा या सहायक कंपनी पर निर्भर होनी चाहिए।)
 - सरकारी नीतियां (मंत्रिस्तरीय या गैर-मंत्रिस्तरीय) या उनके FUCT के साथ संबंध, जिनमें उनके वैधानिक निगम और निजी कंपनियां शामिल हैं, जो उच्च जोखिम वाले देशों (अर्थात् FATF गैर-अनुपालक देशों) से उत्पन्न या वहां स्थित हैं।
 - पंजीकृत सार्वजिनक कम्पिनयों और उनकी सहायक कम्पिनयों के साथ संबंध।

पता: पुराना नंबर 469/389, नया नंबर 1424, दूसरी मंजिल, येलहंका ओल्ड टाउन पोस्ट ऑफिस के पीछे, गांव नगर, येलहंका, बेंगलुरु- 560064 (कर्नाटक); **ईमेल आईडी:** manoj@aspirefinance.in; **मोबाइल नंबर:** 6362 098 268

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

- स्तर बी: निम्नलिखित ग्राहकों को स्तर बी जोखिम ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:
 - सभी रिश्ते जो स्तर सी या स्तर ए के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं।
- स्तर ए: निम्नलिखित ग्राहकों को अनुमोदन के समय के अनुसार सीमित उचित परिश्रम और ऋण समझौते के निष्पादन से पहले कंपनी द्वारा की गई कानूनी उचित परिश्रम के भाग के रूप में, और स्तर ए जोखिम ग्राहकों के रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत घोषणा के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा:
 - रक्षा , धन सेवा ब्यूरो और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के डीलरों (जैसे, कीमती धातुओं के व्यापारी, जौहरी और प्राचीन वस्तुओं के डीलर) जैसे मनी लॉन्ड्रिंग (महंगा) वस्तुओं के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के साथ संबंध।

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

15. पीईपी नीति

"राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति होते हैं जो किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजिनक कार्य किए गए या किए गए हैं, जिनमें राष्ट्र/सरकार के प्रमुख, विरष्ठ राजनेता, विरष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के विरष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल शामिल हैं। कंपनी पीईपी के साथ लेन-देन नहीं करती है।

16. आरएफ समिति

मुख्य अधिकारी आवश्यकताओं पर जोखिम प्रबंधन सिमित (आरएमसी) को पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में, जिसके लिए सिमिति से आगे के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। इस सिमिति को परियोजना विभाग द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर विभिन्न ग्राहकों से जुड़े जोखिम का आकलन करने की अनुमित मिलती है।

विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, विषय-वस्तु पर प्रासंगिक ज्ञान और पृष्ठभूमि वाले एक स्वतंत्र सलाहकार की सेवाएं ली जा सकती हैं। हालाँकि, ऐसे मुद्दों के किसी भी वर्गीकरण को गोपनीय माना जाएगा और संगठन के किसी भी स्तर पर कंपनी के साथ उनके संबंधों की परवाह किए बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

17. ग्राहक शिक्षा एवं जागरूकता

ग्राहकों को किसी विशिष्ट/ए-प्रमोशन/सीएफटी कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में सूचित करने के लिए, आवश्यक चरणों के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.aspirefinance.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

18. वेतन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतत कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करेगी तािक टीम के सदस्यों को केवाईसी/ए लॉन्च/सीएफटी अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण सत्र फ्रंटलाइन स्टाफ, ड्यूटी कर्मियों और नए ग्राहक सेवा वाले अधिकारियों/डीिलंग स्टाफ की विशिष्ट रूपरेखा के अनुरूप होंगे। यह जरूरी है कि सभी कर्मचारी अपनी इच्छानुसार नियमों के पीछे के तर्क को समझें और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करें।

19. रिकॉर्ड

कंपनी धन शोधन क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत नियमों के अनुरूप ग्राहक जानकारी को बनाए रखेगी, सुरक्षित रखेगी और रिपोर्ट देगी। कंपनी और ग्राहक के बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेन-देन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड लेन-देन की तारीख से कम से कम पांच साल तक बनाए रखेगी। इसके अलावा, कंपनी खाता खोलने और व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखेगी।

सी रेटिंग: U65929KA2022PTC167759

कंपनी खाते की जानकारी के उचित रखरखाव और सुरक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करेगी, जिससे जब भी आवश्यकता हो या सक्षम प्रदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाए, डेटा को आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके।

20. कंपनी की केवाईसी नीति में अद्यतनीकरण

कंपनी के बोर्ड को वाइसी/ए-फ्लेटेड/सीएफटी नीति या कंपनी के किसी भी संबद्ध मार्गदर्शन नोट को प्रमाणित या समायोजित करने का अधिकार होगा, ताकि इसे आरबीआई या अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सके, अद्यतनों या संशोधनों के साथ अनुरूपित किया जा सके।